भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1519

जिसका उत्तर 04 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है

कोयला खनन विकास समझौता

1519. श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलालः

श्री नव चरण माझीः

श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रेः

श्री तापिर गावः

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मच्छकटा, कुडानाली लुबरी और सखीगोपाल-बी काकुरही कोयला खानों के लिए हाल ही में निष्पादित कोयला खनन, विकास और उत्पादन समझौतों का अपेक्षित आर्थिक प्रभाव क्या होगा; और

(ख) उक्त समझौतों से कोयला क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के सरकार के लक्ष्य में किस प्रकार योगदान मिलने की संभावना है?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) : दिनांक 05.09.2024 को मच्छकटा (संशोधित), कुडानाली लुबरी और सखीगोपाल-बी काकुरही कोयला खानों को क्रमशः एनएलसी इंडिया लिमिटेड, गुजरात खनिज विकास निगम लिमिटेड (जीएमडीसी) और तमिलनाडु उत्पादन और वितरण निगम (टीएएनजीईडीसीओ) को सफलतापूर्वक आवंटित किया गया है। कुडानाली लुबरी और सखीगोपाल-बी काकुरही आंशिक रूप से अन्वेषित ब्लॉक हैं, जबकि मच्छकटा (संशोधित) कोयला ब्लॉक पूर्ण रूप से 1377 मि.ट. और 30 एमटीपीए के पीआरसी के भंडार के साथ अन्वेषित है, जिससे ~ 2,991 करोड़ रुपये का

वार्षिक राजस्व प्राप्त होने की अपेक्षा है और इसके प्रचालन से ~ 4,500 करोड़ रुपये का अनुमानित निवेश होगा।

(ख) : मच्छकटा (संशोधित) कोयला खान की चरम दर क्षमता 30 एमटीपीए है जबकि अन्य दो खानें आंशिक रूप से अन्वेषित कोयला खानें हैं। एक बार प्रचालनात्मक हो जाने पर इन खानों से देश में कोयले के आयात में कमी आने की अपेक्षा है जिससे इसे घरेलू रूप से उत्पादित कोयले से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

****